आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार और छुरी भी बरामद

हलालपुरा बस स्टैंड पर चाकूबाजी के आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कोहेफिजा पुलिस ने हलालपुरा बस स्टैंड पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार और छुरी भी बरामद की है।

पुलिस के अनुसार 27 अगस्त को करोंद, निशातपुरा निवासी मनीष जाट ने कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसका भाई हलालपुरा बस स्टैंड पर सवारी छोड़ने गया था। इसी दौरान कार क्रमांक एमपी 04 सीजी 6171 के चालक ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर के

बाद हुए विवाद में कार चालक और उसके साथी ने गाली-गलौज करते हुए युवक को पकड़ लिया और कथित तौर पर छुरी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद कोहेफिजा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 627/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई।

पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र सक्रिय करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त कार के मालिक से पूछताछ की। जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान फिरोज खान उर्फ छड़ी (34), निवासी जहांगीराबाद और आजम खान उर्फ कांचा (23), निवासी गौतम नगर, भोपाल के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कार और छुरी बरामद कर ली। मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 भी जोड़ी गई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक आरोपी फिरोज खान के खिलाफ लूट, नकबजनी, मारपीट, अड़ीबाजी, डकैती, जुआ, अवैध हथियार, चोरी और हत्या के प्रयास सहित 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, दूसरे आरोपी आजम खान के विरुद्ध मारपीट, अड़ीबाजी और हत्या के प्रयास के तीन मामले दर्ज बताए गए हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठाकुर सहित थाना स्टाफ और एफआरवी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राज्य स्तरीय लक्ष्य मंथन योगासन प्रतियोगिता का प्रथम क्वालिफाइंग चरण संपन्न

नईदुनिया ब्यूरो, इंदौरः योग, स्वास्थ्य संवर्धन एवं सामाजिक चेतना के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से योग आयोग, मप्र शासन के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में आयोजित राज्य स्तरीय 'लक्ष्य 'मंथन' योगासन प्रतियोगिता' के प्रारंभिक दौर का प्रथम क्वालिफाइंग चरण 30 अगस्त को सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कीम नं. 74, विजय नगर, इंदौर में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं खेल जगत की प्रमुख हस्तियां मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर शौर्य मल्होत्रा, एसडीएम (हातोद) राजेश सिंह, सेंट अर्नोल्ड स्कूल के प्राचार्य फादर पायस, क्षेत्रीय खेल अधिकारी इंदौर हेमंत वर्मा एवं प्रशांत महंत विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस मौके पर लक्ष्य पर्यावरण एवं वाटर सॉल्यूशन वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद नन्दवाल ने बताया कि संस्था पर्यावरण एवं जल संरक्षण के साथ-साथ स्वस्थ व तनावमुक्त जीवनशैली के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के तहत युवाओं को सशक्त मंच देने के लिए यह प्रतियोगिता कुल तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। दूसरा क्वालिफाइंग चरण 6 सितंबर को इसी स्थल पर आयोजित किया जाएगा, जबकि दोनों चरणों के श्रेष्ठ चयनित प्रतिभागी 12 सितंबर को बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, इंदौर में आयोजित होने वाले भव्य फाइनल राउंड में भाग लेंगे। आज के

मुकाबले में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों, योग महाविद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, संस्थाओं और व्यक्तिगत, कुल 375 योग साधकों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता के पहले चरण में 8 से 14 वर्ष के आयु वर्गों में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए आयोजित की गई। व्यक्तिगत बालक वर्ग में अभिराज श्रोती ने प्रथम एवं आरव सोनी ने द्वितीय स्थान अर्जित किया। वहीं, व्यक्तिगत बालिका वर्ग में आध्या द्विवेदी ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दीक्षिका परिहार दूसरे स्थान पर रहीं। दो साधकों की जोड़ी (पेयर) स्पर्धा के बालक वर्ग में स्वयं सिंह बघेल और विशेष वाधवानी की जोड़ी ने प्रथम स्थान तथा वेदांत शर्मा और तनय पुरोहित की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार बालिका जोड़ी वर्ग में श्रेया त्रिपाठी और उन्नति नाहर ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि रीत श्रीवास्तव और आराध्या पंजरे की जोड़ी दूसरे स्थान पर रही।संचालन एवं मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर की योग निर्णायक परीक्षा उत्तीर्ण व अनुभवी निर्णायक मंडल द्वारा किया गया। समापन पर आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्यों डॉ. हेमंत शर्मा, अनिल अग्रवाल, रौनक सोनी, प्रेम दुआ, मनोज वर्मा एवं चंद्रशेखर तिवारी आदि ने प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।

उच्चदाब कनेक्शन बंद होने पर सुरक्षा निधि की वापसी अब ऑनलाइन

- पात्र उपभोक्ताओं को कार्यालयों के चक्कर से मिलेगी राहत, तीन दिन में होगा दस्तावेजों का सत्यापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के बाद सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम मद में बची राशि की वापसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इससे पात्र उपभोक्ताओं को राशि वापसी के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कंपनी के अनुसार उपभोक्ता स्मार्ट बिजली पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया ओटीपी आधारित लॉगिन के जरिए पूरी होगी। उपभोक्ता को अपने विवरण का सत्यापन कर संबंधित रिफंड श्रेणी का चयन करना होगा तथा बैंक खाते की जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन के साथ कैंसिल चेक, पहचान अथवा पैन प्रमाण, हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र और शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा होने के बाद एप्लीकेशन आईडी और पावती प्राप्त होगी। दस्तावेज पूर्ण होने पर संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय अधिकतम तीन दिवस में सत्यापन करेगा। इसके बाद केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ बैंक विवरण और वित्तीय अभिलेखों की जांच करेगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि राशि वापसी के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों की बैठक

संघर्ष के लिए बनाया व्यापारी महासंघ

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः नगर निगम द्वारा प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई के विरोध में संत नगर के व्यापारियों ने एकजुट होकर एक मजबूत मोर्चा तैयार कर लिया है। हाल ही में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कपड़ा, बर्तन, किराना, सराफा, साइकिल, होटल और ब्रोकर्स एसोसिएशन समेत कई व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। व्यापारियों ने एक सुर में सीलिंग का पुरजोर विरोध करने का संकल्प लिया और आपसी तालमेल को मजबूत करने के लिए 'व्यापार महासंघ' के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

विस्थापितों की आजीविका का सवाल

कपड़ा व्यापारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि संत नगर के सिंधी विस्थापितों को पूर्व में शासन के विशेष नियमों और पुनर्वास नीतियों के तहत बसाया गया था। इसलिए, दशकों से संचालित इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों और गतिविधियों पर कार्रवाई करने से पहले तत्कालीन परिस्थितियों और नियमों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए।

व्यापारी -कर्मचारी दोनों की रोजी रोटी पर संकट

वर्षों से चल रही दुकानों को अचानक बंद करने के बजाय सरकार और प्रशासन को कोई व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। यदि व्यापार बंद होता है, तो दुकानदारों के साथ-साथ उनका स्टाफ, उनके परिवार और पूरी स्थानीय आर्थिकी प्रभावित होगी, क्योंकि इन दुकानों पर कई लोगों का भविष्य टिका हुआ है।

***कन्हैया इसरानी**, अध्यक्ष, कपड़ा व्यापारी संघ*

कानूनी सलाह और मास्टर प्लान की मांग

बैठक में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों का बारीकी से अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ वकीलों और विषय विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेने पर सहमति बनी। कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सीलिंग के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों से जुड़े नियमों की प्रतियां लेकर पहुंचे, जिन्हें महासंघ के संभावित पदाधिकारियों को सौंपा गया। व्यापारियों ने मांग उठाई कि क्षेत्र की वास्तविक और ऐतिहासिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान को जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही, विकास और व्यापार को संतुलित करने के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर 'मिक्स लैंड यूज' (मिश्रित भूमि उपयोग) व्यवस्था लागू की जाए।

50 इलाकों में आज बिजली कटौती

भोपाल। शहर के करीब 50 इलाकों में मंगलवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली कंपनी द्वारा मेंटेनेंस कार्य किए जाने के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी ने संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों से आवश्यक कार्य पहले से पूरा कर लेने की अपील की है। बिजली कटौती से प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में रायसेन रोड, पटेल नगर, शिर्डीपुरम, सागरकुंज, बीमाकुंज, कान्हाकुंज, भूमिका रेजीडेंसी, बंजारी, अब्बास नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, राधापुरम, कृष्णापुरम और सहारा कॉलोनी सहित अन्य इलाके शामिल हैं। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फतेहगढ़, सदर मंजिल, इमामी गेट चौराहा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

ई-कचरे के निपटारे पर एनजीटी सख्त, जांच के दिए निर्देश

- पर्यावरण और जनस्वास्थ्य पर असर की होगी पड़ताल, चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भोपाल में ई-कचरे के कथित अवैज्ञानिक निस्तारण और अनियंत्रित प्रसंस्करण से उत्पन्न पर्यावरणीय एवं जनस्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को गंभीरता से लिया है। अधिकरण ने मामले की तथ्यात्मक जांच कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ के समक्ष हुई।

याचिका में भोपाल में ई-कचरे के कथित अनुचित निस्तारण, प्रसंस्करण और खुले में जलाने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया है।

आवेदन के अनुसार शहर में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का सीमित हिस्सा ही वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित हो रहा है, जबकि शेष कचरे का अनधिकृत इकाइयों के माध्यम से अनियंत्रित प्रसंस्करण किए जाने का आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुले में जलाने से सीसा, पारा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे विषैले पदार्थ निकलने की आशंका जताई गई है।

अधिकरण ने भोपाल कलेक्टर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नगर निगम, पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों को पक्षकार बनाते हुए जवाब मांगा है।

पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति को चार सप्ताह में तथ्यात्मक एवं कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट देनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सड़कों पर पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम में समाज की भागीदारी होगी सुनिश्चित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः सड़कों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों की रोकथाम के लिए अब समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर समितियां गठित कर उन्हें प्रोत्साहन राशि देने और दुर्घटना रोकथाम में उनकी मदद लेने पर जोर दिया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में मुख्य सचिव कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 9 जिलों में जीरो फेटिलिटी डिस्ट्रिक प्रोग्राम के क्रियान्वयन पर सहमति बनी। वर्तमान में धार, सतना, रीवा, सागर, जबलपुर और खरगोन में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति सप्रे ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लघु एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाकर समय-सीमा में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटनाओं में कमी के लिए 4-ई—इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, इंफोर्समेंट और एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। साथ ही योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान, सीएसआर और तकनीकी संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा।

मिठी-नवनिध स्कूल ने जीते पुरस्कार

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः एसआईपी अबेकस कलर एंड क्लिक प्रतियोगिता में मिठी और नवनिध स्कूल के स्टूडेंट्स ने कई खिताब अपने नाम किए। मिठी स्कूल के छात्रों ने इंटर-स्कूल राउंड में सफलता हासिल की। निवान मेवाड़ा और हार्दिक लालवानी ने राज्य स्तर पर विजेता का खिताब हासिल किया। निवान को 1,000 तथा हार्दिक को 1,500 का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

विशेष प्रार्थना सभा में दोनों छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था सचिव घनश्याम बूलचंदानी और प्राचार्य श्रीमती रेखा केवलानी विद्यार्थियों ने बधाई दी। विद्यालय की उप-प्राचार्या दिव्या कृपलानी को राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा 'यूथ आइकॉन' अवार्ड से नवाजा गया है। नवनिध स्कूल की छात्राओं ने एसआईपी अबेकस कलर एंड क्लिक 2026 की राज्य स्तरीय पुरस्कृत हासिल किए। प्रार्थना सभा में विजेता छात्राओं को एसआईपी अबेकस के क्षेत्र प्रमुख आयुष जैन एवं फ्रेंचाइज़ी संचालक मनोज इसरानी की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। प्रकृति टेवानी को 2,000, विधि पेसवानी को 2,000, ट्रॉफी व प्रमाण-पत्र, गार्गी सिंगरोली को 1,500, ट्रॉफी व प्रमाण-पत्र और आन्या जैन 1,000, ट्रॉफी व प्रमाण-पत्र दिए गए। प्राचार्य अमृता मोटवानी विजेता छात्राओं को बधाई दी।

जल्द बड़ा फेरबदल, रेंज आईजी-एसपी बदलने की संभावना

- 132 आईपीएस-एसपीएस अधिकारियों की डीएसपी और एसडीओपी पोस्टिंग सूची भी मंजूरी के इंतजार में

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में जल्द बड़े स्तर पर फेरबदल होने की संभावना है। सरकार दो रेंज में नए आईजी की पदस्थापना के साथ कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों में भी बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 132 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को डीएसपी एवं एसडीओपी पदों पर पदस्थ करने वाली सूची को भी जल्द मंजूरी मिल सकती है।

एडीजी इंटेलिजेंस साईं मनोहर सोमवार को सेवानिवृत्त हुए इससे पहले सरकार अंशुमान यादव को एडीजी इंटेलिजेंस पद पर पदस्थ कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार साईं मनोहर को सेवानिवृत्ति के बाद मुख्यमंत्री का सुरक्षा सलाहकार बनाए जाने की संभावना है।

ग्वालियर रेंज में आईजी अरविंद सक्सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद पद का प्रभार डीआईजी असित यादव के पास है। वहीं सागर रेंज के आईजी मिथलेश शुक्ला भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में दोनों रेंज को नए आईजी मिलने की संभावना जताई जा रही है। गृह विभाग ने 132 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों की डीएसपी एवं एसडीओपी पदस्थापना सूची तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। सूची में वर्ष 2024-25 बैच के आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार आगामी फेरबदल में कुछ जिलों के एसपी भी बदले जा सकते हैं। हालांकि, पदस्थापना और तबादलों को लेकर आधिकारिक आदेश जारी होना बाकी है।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान एक सितम्बर को

भोपाल : मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र -गीत 'वन्देमातरम' एवं राष्ट्र -गान 'जन-गण-मन' का गायन मंगलवार 1 सितम्बर को प्रातः 10:15 बजे किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल एवं सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को गायन में प्रात : 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये हैं।

शिविर — 20 मरीजों के हुए मोतियाबिंद ऑपरेशन...

निःशुल्क नेत्र शिविर 194 लोगों की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय ने भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से रविवार को राजधानी के जहांगीराबाद क्षेत्र में स्थित संत निरंकारी मंडल में निःशुल्क नेत्र रोग निदान एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर लगाया। शिविर में 194 लोगों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 100 पुरूष तथा 94 महिला शामिल थीं। इनमें से 24 मरीजों में मोतियाबिंद के लक्षण पाए गए। सभी मरीजों को एंबुलेंस से सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को 20 मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये गये। जिन लोगों में

सेवासदन मेला समिति ने लगाया शिविर

मोतियाबिंद की शिकायत नहीं मिली, उन्हें निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई और सभी रोगियों के ब्लड प्रेशर और मधुमेह की जांच भी की गई। रोगियों ने शिविर का लाभ उठाते हुए अपनी आंखों की जांच कराई और नेत्र सुरक्षा के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। राजधानी भोपाल में प्रतिवर्ष वर्षाकाल में भोपाल उत्सव मेला समिति के सहयोग से नेत्र शिविर लगाये जाते हैं।

इसी कड़ी में रविवार को यह ग्यारहवां और अंतिम शिविर था। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद शिरीन अनवर मीटर, मेला समिति से चंद्रशेखर सोनी, अनुपम अग्रवाल, कमल जैन, श्वेता, सवैन्द्र जुनेजा, नारायण सिंह कुशवाह, डॉ. योगेन्द्र मुखरैया तथा सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के ट्रस्टी श्री सुरेश आवतरामानी सहित अस्पताल के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कार्यालय वनमंडल अधिकारी वनमंडल बैतूल (उत्पादन) म.प्र.

दूरभाष क्रमांक-07141-234408 Email- dfopbetul@mp.gov.in
क्रमांक/स्टोर/2026/96 **ई-निविदा सूचना** बैतूल, दिनांक 25/8/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन वृत्त बैतूल अंतर्गत उत्पादन वनमण्डल बैतूल में विदोहन वर्ष 2026-2027 (30 सितम्बर 2027) तक के उपयोग हेतु निर्माण कार्यों में लगने वाली निर्माण सामग्री के क्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों एवं विस्तृत जानकारी हेतु मध्यप्रदेश की वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर लॉग-ऑन करें.।
निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 1,000/- तथा सत्यंकार की राशि रूपये 1,20,000/- हैं। निविदा प्रपत्र ऑन-लाईन ही क्रय किया जा सकेंगा एवं निविदा ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी।
निविदा का कुल मूल्य लगभग रूपये 40,00,000/- है। निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जाएगी।
निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने एवं खोलने का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	विवरण	दिनांक	समय
01	Publishing Date	03/09/2026	निविदा ऑन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्षित हैं।
02	Document Download/Sale Start Date	03/09/2026	
03	Bid Submission Start Date	03/09/2026	
04	Pre-Bid Meeting Date	16/09/2026	
05	Bid Submission Closing Date	23/09/2026	
06	Bid Opening Date	25/09/2026	

टीप :- निविदा में पर्याप्त निविदाकार नही आने, या अन्य किसी करण से निविदा निरस्त होती है, तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पुनः निविदा बुलाना आवश्यक हो तो, 07 दिवस की अल्प कालिक निविदा मध्यप्रदेश की वेबसाईट https://mptenders.gov.in प्रकाशित कर दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नही किया जावेगा।

(विजेन्द्र खोब्रागडे)
जी-17913/26 भा.व.से. वनमंडल अधिकारी (उत्पादन)वनमंडल बैतूल

जाहिर सूचना

एक किता आवासीय मकान जो कि भूखण्ड क्रमाक-156, पर निर्मित सेक्टर-सी, रक्षा विहार, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा विकसित कालोनी, जो कि ग्राम बरखेडा बोंदर, पटवारी हल्का नं.-3, मे स्थित तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र

मै, अपने पक्षकार श्री हेमन्त वालिया आत्मज श्री संत प्रकाश आयु वयस्क निवासी – मकान नं. ई 17/1, डी.आर.डी.ओ टाउनशिप कंचनबाग हैदराबाद की ओर से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार द्वारा एक किता आवासीय मकान जो कि भूखण्ड क्रमाक–156, पर निर्मित सेक्टर–सी, रक्षा विहार, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा विकसित कालोनी, जो कि ग्राम बरखेडा बोंदर, पटवारी हल्का न.–3, मे स्थित तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र जो कि श्री संजय प्रधान आत्मज श्री जी.एस. प्रधान एवं श्रीमति वर्षा प्रधान पत्नी श्री संजय प्रधान दोनों निवासी मकान नं. ई–2/150, अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है से क्रय करने बावत अनुबंध किया गया है। अतः सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि यदि उक्त मकान के संबंध मे किसी भी पक्ष, संस्था वित्तीय अथवा गैर वित्तीय, बैंक, शासकीय, गैर शासकीय आदि का किसी प्रकार का हित निहित हो अथवा विक्रय के संबंध मे आपत्ति हो तो संबंधित पक्ष अपनी आपत्ति मय दस्तावेजी साक्ष्य के मेरे कार्यालय मे इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करे, अन्यथा समयावधि व्यतीत होने पर मेरा पक्षकार विक्रेता से उक्त भवन के विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष मे करवाने हेतु स्वतंत्र होगा और समयावधि पश्चात् प्राप्त आपत्तियाँ मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होंगी।

भवदीय **के.के. काला** अधिवक्ता
ऑफिस :- 32 यूजीएफ, सारनाथ काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल मो.-9993411804